

मुद्रितDisposed

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय,

उच्च न्यायालय, प्रयागराज-उ0प्र0।

संबंधित न्यायालय एम0एम0 6 कानपुर नगर।

मु0अ0सं0-365 / 2023

धारा-498ए / 323 / 504 / 506 / 342 / 354ख /

406आई0पी0सी0 व 3 / 4 द0प्र0आधि0

थाना चक्री, कानपुर नगर।

**विषय-** पीतृग्रामीन अधिकारी न्यायालय एम0एम0-6 कानपुर नगर द्वारा दबाव में आकर धारा 164 सी0आर0पी0सी0 में प्रार्थिती द्वारा किये गये कथन को न अकित करते हुए अभियुक्तों के दबाव में मनमाने ढंग से 164 के बयान लिखे जाने के संदर्भ में जांच कराकर न्याय प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र:

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिती ग्राम मुत्तौर जिला फतेहपुर की निवासिनी है तथा उपरोक्त मुकदमे की वादिनी है।

प्रार्थिती की ससुराल के लोग उक्त वाद में धन, बल एवं राजनैतिक बल से पूरी तरह से सम्पन्न हैं द्वारा प्रार्थिती का उत्पीड़न दहेज के कारण करने पर प्रार्थिती ने थाना चक्री कानपुर नगर में उक्त मुकदमा दिनांक 10-05-2023 को दर्ज कराया था।

उपरोक्त अभियुक्तों के दबाव में पहले तो विवेचनाधिकारी ने प्रार्थिती व उसके गवाहों के बयान ही दर्ज नहीं किये, वादिनी एवं गवाहों के शपथपत्र डाक से प्रेषित किये एवं मेरे द्वारा बहुत निवेदन करने पर विवेचनाधिकारी ने हल्के मन से न्यायालय एम0एम06 कानपुर नगर के यहां दिनांक 21-11-2023 को धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के तहत बयान दर्ज कराये।

बाद में जब प्रार्थिती ने उपरोक्त बयान, जो मजिस्ट्रेट महोदय ने लिखा था को पढ़ने पर प्रार्थिती को मालूम हुआ कि प्रार्थिती ने जो बयान मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था वह नहीं लिखा है बल्कि अभियुक्तों का बचाव करते हुए अपने मन से मजिस्ट्रेट ने बयान लिख लिया है। जबकि प्रार्थिती ने इसके पूर्व अपना बयान शपथपत्र के माध्यम से विवेचनाधिकारी को मिजवा दिया था।

ऐसी स्थिति में प्रार्थिती के साथ कर्तव्य नहीं हुआ है जिससे प्रार्थिती का विश्वास न्याय प्रणाली से दूटा जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराकर प्रार्थिती का बयान धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के तहत पुनः कराये जाने की कृपा करें, श्रीमान जी की महान दया होगी।

दिनांक: २२/११/२३

कापी प्रेषित:-

1. मा० मुख्य न्यायाधीश, नई दिल्ली।
2. मा० मुख्य न्यायाधीश, प्रयागराज-उ0प्र0।
3. जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।

ASJ-03-22/11/23  
ASJ-03-22/11/23  
22/11/23

O  
Shmt. Kanchari, Cau No: 3  
ASJ/03-22/11/23  
Kanpur Nagar  
to both w/o  
met her at govt.  
Smt. Smt. Smt. Smt.

श्रीमती काजल  
सुष्मा सुनील प्रान्तुलमणि द्विवेदी  
ग्राम मुत्तौर, फतेहपुर।  
मो०९०-९५१९८८५१३८  
22/11/23  
DISTRICT JUDGE  
KANPUR NAGAR

Spcl CJM:- ०/११/११  
ASJ-03-22/11/23

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी  
न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट  
कक्ष सं० 6, कानपुर नगर।

सेवा में,


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कक्ष सं० 3, कानपुर नगर।

विषय: पीठासीन अधिकारी महानगर मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 6 कानपुर नगर से दिनांक 21.11.2023  
को दर्ज 164 के बयान के बावत आहुत आख्या के सम्बन्ध में।

माननीय महोदया,

ससम्मान अवगत कराना है कि न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 6 पीठासीन अधिकारी का जे०जे० बोर्ड में स्थानान्तरण हो जाने के कारणवश रिक्त है। आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सादर।

  
(प्रभारी अधिकारी) २३/११/२३

न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट  
कक्ष सं० 6 कानपुर नगर।

प्रेषिका,  
सौम्या द्विवेदी,  
महानगर मजिस्ट्रेट,  
कक्ष संख्या-6, कानपुर नगर।

सेवा में,  
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष संख्या-03, कानपुर नगर।

विषय:-शिकायतकर्ता प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.11.2023 बाबत दर्ज किये गये  
प्रार्थिनी के बयान अर्तगत धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बाबत आहूत  
आख्या के सन्दर्भ में।

महोदय,

प्रार्थिनी द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में ससम्मान अवगत कराना है कि सामान्यतः प्रतिदिन 4-5 बयान लिखे जाने के कारणवश प्रार्थिनी के लिखे गये बयान की अन्तवस्तुओं पर बिना बयान का अवलोकन किये, टिप्पणी कर पाने में असमर्थ हूँ।

जहाँ तक प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों का प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट ने अपने मन से बयान लिख लिया है तो यहाँ यह गौरतलब है कि प्रार्थिनी द्वारा स्वयं यह कथन किया गया है कि "उपरोक्त बयान को पढ़ने पर प्रार्थिनी को मालूम हुआ कि उसने जो बयान मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था वह नहीं लिखा है।" जब प्रार्थिनी ने स्वयं उस बयान को पढ़ा और उससे वह असंतुष्टि थी तो उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति क्यों नहीं की गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बयान को पीड़िता को पढ़कर सुनाया व समझाया जाता है, जिसे वह अक्षरशः सही होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित करती है। प्रार्थिनी द्वारा भी बयान को स्वयं पढ़ा गया है और उसे स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर बनाये गये हैं। ऐसी दशा में प्रार्थिनी द्वारा दिये गये बयान को ही अक्षरशः अंकित किया गया है। उसमें कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थिनी को जिला स्तर पर श्रीमान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का फोरम उपलब्ध था परन्तु उसके द्वारा इन स्तर पर ना जाकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो उसकी दूषित मंशा का घोतक है। अतः विनम्र निवेदन है कि यदि प्रार्थिनी द्वारा किये गये कथन मिथ्या व मनगढ़त पाये जाते हैं तो प्रार्थिनी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

आख्या माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

दिनांक 28.11.2023

भवदीया,

*Sampurnanand*  
28.11.23  
(सौम्या द्विवेदी)

महानगर मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-6/  
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड  
कानपुर नगर।

प्रेषिका,

कंचन,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष सं०-०३, कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
कानपुर नगर।

विषय

प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता श्रीमती काजल (पीड़िता मु०अ०सं०- 365/  
2023 अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506, 342, 354ख, 406 भा०द०सं० व  
धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना-चक्रेरी, कानपुर  
नगर) द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.11.2023  
के सम्बन्ध में परीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि  
प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता श्रीमती काजल उपरोक्त द्वारा पीठासीन अधिकारी न्यायालय  
एम०एम०-६, कानपुर नगर द्वारा दबाव में आकर धारा 164 दं०प्र०सं० में  
प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा किये गये कथन को न अंकित करते हुए अभियुक्तों के  
दबाव में मनमाने ढंग से 164 दं०प्र०सं० के बयान लिखे जाने विषयांकित शिकायती  
प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.11.2023 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय महोदय द्वारा  
अपने आदेश दिनांकित 22.11.2023 के द्वारा उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के  
बावजूद प्रकरण की जांच कर मुझे सुश्री स्नेहा, स्पेशल सी०ज०एम०, कानपुर नगर, के  
सहयोग से आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। शिकायती प्रार्थना पत्र  
उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी सुश्री सौम्या द्विवेदी तत्कालीन  
पीठासीन अधिकारी न्यायालय एम०एम०-०६, कानपुर नगर, वर्तमान प्रधान  
मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कानपुर नगर (जिनके द्वारा उपरोक्त प्रार्थिनी/  
शिकायतकर्ता का बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित किया गया) से  
आख्या आहूत की गयी।

प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता श्रीमती काजल द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र  
में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि—

प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता के द्वारा दर्ज उपरोक्त मु०अ०सं०-  
365/2023 में अभियुक्तों के दबाव में पहले तो विवेचनाधिकारी ने प्रार्थिनी व  
उसके गवाहों के बयान ही दर्ज नहीं किये। वादिनी एवं गवाहों के शपथपत्र डाक  
से प्रेषित किये एवं उसके द्वारा बहुत निवेदन करने पर विवेचनाधिकारी ने हल्के  
मन से न्यायालय एम०एम०-६, कानपुर नगर के यहां दिनांक 21.11.2023 को धारा  
164 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज कराये। बाद में जब प्रार्थिनी ने उपरोक्त बयान,  
जो मजिस्ट्रेट महोदय ने लिखा था, को पढ़ने पर प्रार्थिनी को मालूम हुआ कि  
प्रार्थिनी ने जो बयान मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था वह नहीं लिखा है, बल्कि

अभियुक्तों का बचाव करते हुए अपने मन से मजिस्ट्रेट ने बयान लिख लिया है। जबकि प्रार्थिनी ने इसके पूर्व अपना बयान शपथपत्र के माध्यम से विवेचनाधिकारी को भिजवा दिया था। प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से करवाकर प्रार्थिनी का बयान धारा 164 दंप्र०सं० के तहत पुनः कराये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी सुश्री सौम्या द्विवेदी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय एम०एम०-०६, कानपुर नगर, वर्तमान प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कानपुर नगर (जिनके द्वारा उपरोक्त प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता का बयान अन्तर्गत धारा 164 दंप्र०सं० अंकित किया गया)

द्वारा आख्या दिनांकित 28.11.2023 इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि जहाँ तक प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों का प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट ने अपने मन से बयान लिख लिया है तो यहों यह गौरतलब है कि प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं यह कथन किया गया है कि "उपरोक्त बयान को पढ़ने पर प्रार्थिनी को मालूम हुआ कि उसने जो बयान मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था वह नहीं लिखा है।" जब प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता ने स्वयं उस बयान को पढ़ा और उससे वह असंतुष्ट थी तो उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति क्यों नहीं की गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बयान को पीड़िता को पढ़कर सुनाया व समझाया जाता है, जिसे वह अक्षरशः सही होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित करती है। प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा भी बयान को स्वयं पढ़ा गया है और उसे स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर बनाये गये हैं। ऐसी दशा में प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान को ही अक्षरशः अंकित किया गया है। उसमें कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

महोदय प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र उपरोक्त व सम्बन्धित अधिकारी की आख्या से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा अपने अंकित 164 दंप्र०सं० के बयान उपरोक्त को पढ़ने पर प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता को मालूम हुआ कि मजिस्ट्रेट द्वारा वह नहीं लिखा गया जो बयान प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया था। जबकि सम्बन्धित अधिकारी की आख्यानुसार प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा अपने बयान धारा 164 दंप्र०सं० अंकित होने के पश्चात पढ़कर, समझकर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी की आख्यानुसार प्रत्येक बयान को पीड़िता को पढ़कर सुनाया व समझाया जाता है, जिसे वह अक्षरशः सही होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित करती है। इस प्रकार उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता एक पढ़ी लिखी महिला है। उसके द्वारा अपने उपरोक्त अंकित धारा 164 दंप्र०सं० के बयान को पढ़कर, समझकर उस पर स्वयं हस्ताक्षर किये गये थे। इस स्तर पर जबकि उसके द्वारा स्वयं अपने उपरोक्त अंकित धारा 164 दंप्र०सं० के बयान को पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये गये हैं व जिसे सम्बन्धित

मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया व समझाया गया, उसके सम्बन्ध में प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा सम्बन्धित अधिकारी व न्यायिक प्रक्रिया पर आक्षेप लगाना स्वयं प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता की दृष्टि मंशा को दर्शता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा अपने उपरोक्त के शिकायती प्रार्थना पत्र में न केवल न्यायिक प्रक्रिया को वरन् मुकदमा उपरोक्त के विवेचनाधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना को भी अभियुक्तों के दबाव में करने का कथन किया गया है, जो कि प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा कानून व्यवस्था व न्यायिक प्रक्रिया में दृष्टि मन से हस्तक्षेप किए जाने व न्याय व्यवस्था की छवि को धूमिल किया जाना दर्शित करता है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक: 02.12.2023

भवतीया  
*Lonekhan*  
 (कंचन) 02/12/2023.  
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 कक्ष सं-03, कानपुर नगर।

संलग्नक—यथोक्त।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।

आदेश

शिकायतकर्ता श्रीमती काजल द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.11.2023 के सम्बन्ध में शिकायत जांच अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, कानपुर नगर की आख्या दिनांकित 02.12.2023 का अवलोकन किया।

आख्या के अनुसार, शिकायतकर्ता/प्रार्थिनी एक शिक्षित महिला है तथा उसके द्वारा धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान को पढ़कर समझकर उस पर स्वयं हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रस्तुत शिकायती प्रार्थनापत्र न्यायिक कार्यवाही में दूषित मन से हस्तक्षेप किये जाने व न्याय व्यवस्था की छवि को धूमिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

तदनुसार मैं, शिकायत जांच अधिकारी की जांच आख्या से पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

उपरोक्त परिस्थितयों में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः शिकायतकर्ता श्रीमती काजल द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक-06.12.2023

*Rafael B*  
06/12/2023  
जनपद न्यायाधीश,  
**जनपद न्यायाधीश**  
कानपुर नगर  
कानपुर नगर